क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–147/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नागफणी माईन्स एवं मिनरल्स एम.एल. संख्या 17/2019 द्वारा ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन क्लस्टर खनन परियोजना ग्राम–एकलसिंगा, नायकी एवं मेवदाकंला, तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटटा संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता
1	श्री नागफणी माईन्स एवं मिनरल्स	17/2019	एकलसिंगा	1.9136	ग्रेनाईट	199986 टीपीए (आर.ओ.एम.)
2	मैसर्स ए.जी. माईन्स एवं मिनरल्स	24/2018	एकलसिंगा	1.4143	ग्रेनाईट	90000 टीपीए
3	मैसर्स सवाई भोज ग्रेनाईट	31/2018	एकलसिंगा	1.3006	ग्रेनाईट	76049 टीपीए
4	मैसर्स श्री गिरीराज ग्रेनाईट	57/2018	एकलसिंगा	1.5835	ग्रेनाईट	221940 टीपीए
5	मैसर्स सत्यसुमन मार्बल एवं ग्रेनाईट	86/2018	एकलसिंगा	1.0025	ग्रेनाईट	128294 टीपीए
6	श्री सागर शर्मा	119/2018	एकलसिंगा	1.0229	ग्रेनाईट	109707 टीपीए
7	मैसर्स श्री तिरुपती ग्रेनाईट माईन्स	18/2019	एकलसिंगा	1.3848	ग्रेनाईट	60060 टीपीए
8	मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाईटस	22/2019	एकलसिंगा	1.4797	ग्रेनाईट	203212 टीपीए
9	श्री जगदीश बैरवा	07/2019	एकलसिंगा	1.0144	ग्रेनाईट	52650 टीपीए
10	श्री शिवराज गुर्जर	28/2018	एकलसिंगा	1.0001	ग्रेनाईट	251206 टीपीए
11	मैसर्स अदिति ग्रेनाईट एवं मिनरल्स	70/2018	एकलसिंगा	1.0	ग्रेनाईट	200000 टीपीए
12	मैसर्स बासारानी ग्रेनाईट	108/2018	एकलसिंगा	1.1751	ग्रेनाईट	272764 टीपीए
13	मैसर्स श्री माईनिंग स्टोन	104/2018	नायकी	2.9945	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	301392 टीपीए
14	मैसर्स मुन्नी पूंगव माईन्स एवं मिनरल्स	20/2018	मेवदाकंला	1.6336	ग्रेनाईट	120000 टीपीए
15	मैसर्स ए.बी. ग्रेनाईट	37/2018	मेवदाकंला	1.9949	ग्रेनाईट	120000 टीपीए
16	श्री घनश्याम सैनी	19/2018	नायकी	1.5495	ग्रेनाईट	189216 टीपीए
17	मैसर्स राठौड बद्रर्स	21/2018	नायकी	2.8341	ग्रेनाईट	121800 टीपीए
18	श्री शंकरलाल	55/2018	नायकी	2.2847	ग्रेनाईट	251505 टीपीए
19	श्री नाथूलाल चौधरी	12ए/2013	नायकी	1.0	मैसनरी स्टोन	66557 टीपीए
20	श्री आलोक मोदी	99/2018	नायकी	2.3258	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	200637 टीपीए
21	श्री प्यारेलाल रैगर	18/2018	मेवदाकंला	1.0006	ग्रेनाईट	200000 टीपीए
22	श्री प्रेमनाथ बंसल	41/2019	एकलसिंगा	1.2699	ग्रेनाईट	183333 टीपीए
23	मैसर्स एस.डी. मिनरल्स	56/2018	नायकी	1.3452	ग्रेनाईट	260000 टीपीए
24	मैसर्स धनवर्षा ग्रेनाईट	27/2018	मेवदाकंला	1.2247	ग्रेनाईट	240000 टीपीए

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 36.7490 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–4120308 टीपीए ग्राम एकलसिंगा, नायकी एवं मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **मैसर्स श्री नागफणी माईन्स एवं मिनरल्स एम.एल. संख्या 17/2019** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2022/1200 दिनांक 02.02.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 21/03/2022** को **प्रातः 11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तंवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी